न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

दर्ज तिथिः–03.03.2025

प्रार्थना–पत्र संख्याः–2025/47

1. गंगाराम पुत्र जीवा
2. हरदान पुत्र जीवा
3. सिणगारी पत्नी जीवा
   जाति विश्नोई निवासी वीरमाणियों की ढाणी,चेनपुरा, तहसील धोरीमन्ना।

.......................प्रार्थी

बनाम

1. जगमालराम पुत्र काछबाराम
2. सोनाराम पुत्र जगमालराम
3. इन्द्रा पत्नी पन्नाराम
   जाति विश्नोई निवासी वीरमाणियों की ढाणी,चेनपुरा, तहसील धोरीमना

.........................असल विप्रार्थीगण

4. शाखा प्रबन्धक,स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,शाखा धोरीमना
5. तहसीलदार धोरीमना

.........................तकमीली विप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री रामजीवण विश्नोई
अप्रार्थीगणः– टीकमाराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–49,89 ख,188,209
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः–13.05.2025

वाद–पत्र

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 49,89 ख, 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का [illegible] वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–19[illegible] की धारा –49,89 ख ,188,209 के अन्तर्गत एक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 87/4.5082 है0 व खसरा संख्या [illegible] है0 मौजा वीरमाणियों की ढाणी,चेनपुरा,पटवार हल्का चेनपुरा, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर [illegible] स्थित है0 व [illegible] संख्या है। प्रतिवादीगण का खेत खसरा संख्या 181/87/8.8202

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:02:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

गंगाराम बनाम जगमालाराम
2025/47
निर्णय दिनांक:—13.05.2025

86/0.0728 है0 वाके ग्राम वीरमाणियों की ढाणी,पटवार हल्का चेनपुरा,तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर में आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी मूल खसरा संख्या 87 रकबा 109.18 बीघा का आपसी सहमति से बंटवारा तहसीलदार धोरीमना के आदेश दिनांक 04.12.2010 से बंटवारा व मध्य रास्ता से विभाजित होकर तीन भागों में विभक्त हुआ। विभाजन करते समय कब्जा काश्त का ध्यान नहीं रखने से वादीगण का खसरा संख्या 87 के उतरी पूर्वी सेढे के पास जो पक्की ढाणी मनी है जो वर्तमान रेकर्ड के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खेत खसरा संख्या 181/87 में आ रही है लेकिन मौके पर उस स्थान पर वादीगण की रहवासी मकान व कब्जा काश्त है। तथा मौके पर उक्त रकबा की आराजी मूल खेत दक्षिण पश्चिम रास्ता से आगे वादीगण के खसरा संख्या 87/3 में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का कब्जा काश्त है जिसका प्रतिवादीगण ने तारबंदी कर रखी है। वादीगण वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 87 का राजस्व रेकर्ड 27—17 बीघा है जबकि जबकि मौके पर मकान व कब्जा काश्त 35—17 बीघा है अर्थात 8 बीघा का अन्तर है। इसी प्रकार वादीगण के खेत खसरा संख्या 87/3 का रकबा राजस्व रेकर्ड अनुसार 27—06 बीघा है जबकि मौके पर 19—06 बीघा है। उक्त अन्तर के रकबा पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। अतः उक्त अन्तर का रकबा 8 बीघा का स्थान परिवर्तन प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खेत खसरा संख्या 181/87 में कब्जा काश्त के अनुसार समायोजित किया जाए व अदला बदली तथा सीमाऐं परिवर्तन संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में बरंग हरा व लाल अनुसार किया जावे। उक्त विभाजन से वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जा एवं रेकर्ड में भिन्नता आ गई। अतः वादीगण व प्रतिवादीगण के मौके पर रहवासी मकान व कब्जा काश्त अनुसार चकबन्दी, सीमाऐं परिवर्तन व क्षेत्रफल परिवर्तन किया जाना न्यायसंगत है।

जवाब

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 असालतन वकुलाय न्यायालय हाजा उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 मय वकुलाय बिन्दुवार अपना इकबाली जवाब प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा उक्त खसरों में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार चकबन्दी,सीमाऐं परिवर्तन किये जाने को स्वीकार किया जाकर वादीगण के अनुतोष को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार चकबन्दी,सीमाऐं परिवर्तन किये जाने से रकबा यथावत रहेगा तथा मौके अनुसार रेकर्ड में समानता होगी।

3. प्रतिवादीगण के जवाब अनुसार नवीन विभाजित खसरे का विभाजन मौके पर अवस्थित पक्के मकान व कब्जा काश्त के अनुसार गलत दर्शाई गई है जिसे नवीन विभाजित खसरे की चकबन्दी,सीमा परिवर्तन मौका एवं कब्जा अनुसार परिशिष्ट 'ख' अनुसार दुरस्त किये जाने का कथन किया गया। अतः खसरा संख्या 259 व 259/3 की परिशिष्ट 'अ' अनुसार चकबन्दी व सीमा परिवर्तन दुरस्त करने पर रेकर्ड एवं मौका में समानता रहेगी इसलिए इसी अनुसार चकबन्दी,सीमा परिवर्तन दुरस्ती हेतु सहमत है।

जिरह

4. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक [illegible] बहस की गई। विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की जिरह सुनी [illegible] के संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:02:36 IST
Reason: SelfAttested

वदीगण	प्रतिवादीगण
राजस्व [illegible] अंतर्गत धारा [illegible] ख 188,209 पर बहस	
1. वादीगण के अधिवक्ता [illegible] पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत संलग्न	[illegible]तिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब [illegible] वादीगण के समस्त बिन्दुओं को स्वीकार करते हुए वादीगण द्वारा

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

परिशिष्ट 'अ' के अनुसार खसरा संख्या 87, 87/3 व 181/87 की चकबन्दी व सीमा परिवर्तन दुरस्त करने से वास्तविक कब्जे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो जाने से मौके पर कोई विवाद नहीं रहेगा तथा चकबन्दी व सीमा परिवर्तन किये जाने से रकबा यथावत रहेगा। इसलिए परिशिष्ट 'अ' अनुसार चकबन्दी व सीमा परिवर्तन दुरस्त कर इसी अनुसार नक्शा ट्रैस व ऑनलाईन नक्शे में दुरस्ती का इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावें का निवेदन पेश किया।	प्रस्तावित परिशिष्ट 'अ' के अनुसार दुरस्त करने में सहमति जाहिर करते हुए परिशिष्ट 'अ' के अनुसार चकबन्दी व सीमा परिवर्तन दुरस्ती करने पर कोई आपति नहीं होने का कथन किया।

5. उक्त प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि मौके पर बंटवारा विभाजन त्रुटीपूर्ण है तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में इस तथ्य को स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार चकबन्दी/अदला–बदली व सीमाऐं परिवर्तन दुरस्ती हेतु दोनो पक्ष सहमत है तथा उसी अनुसार चकबन्दी/अदला–बदली व सीमा परिवर्तन पुनः दुरस्त करने का निवेदन किया गया है।

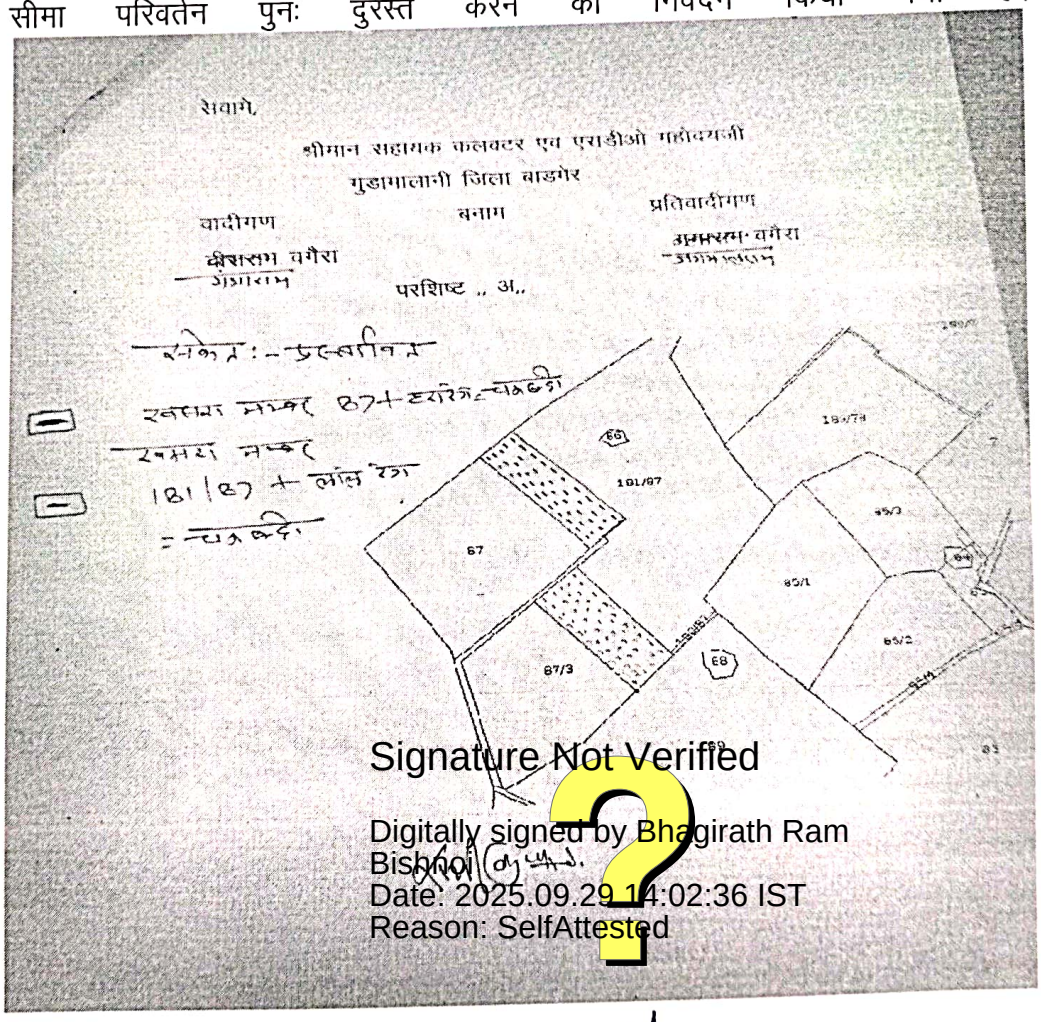

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi (आ.प्र.अ.)
Date: 2025.09.29 14:02:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

निष्कर्ष

6. इस प्रकार प्रकरण में **सर्वप्रथम** यह निर्विवाद तथ्य है कि वादीगण के उक्त खसरा संख्या 87, 87/3 तथा प्रतिवादीगण के खसरा संख्या 181/87 के रहवासी पक्का मकान व मौके पर कब्जा काश्त राजस्व रेकर्ड अनुसार नहीं होने से वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौके पर कब्जा काश्त में भिन्नता उत्पन्न हो गई। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद में सहमती जाहिर कर प्रस्तावित परिशिष्ट 'अ' अनुसार चकबन्दी/अदला–बदली व सीमा परिवर्तन किये जाने से वर्तमान मौका कब्जा काश्त व राजस्व रेकर्ड में समानता रहेगी । अतः वादीगण द्वारा प्रस्तावित 'परिशिष्ट–'अ' के अनुसार चकबन्दी व सीमा परिवर्तन दुरस्त कर राजस्व रेकर्ड नक्शा दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

*राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा **49,89 ख** के अन्तर्गत वादीगण का वाद पत्र बिन्दु संख्या 06 के निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वादीगण के खसरा संख्या 87/4.5082 है0, 87/3/4.4192 है0 तथा प्रतिवादीगण के खेत खसरा संख्या 181/87/8.8202 है0 वाके ग्राम वीरमाणियों की ढाणी,पटवार हल्का चैनपुरा तहसील धोरीमना में संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट 'अ'' के अनुसार चकबन्दी/अदला–बदली व सीमा परिवर्तन कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा 'परिशिष्ट 'अ'' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।*

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 13.05.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

13/5/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:02:36 IST
Reason: SelfAttested